अनुक्रम

संपादकीय

महिलाओं दलितों पर होने वाले हमलों का मुकाबला करो - मरियम ढवले

केरल की जनता का संघर्ष - के के शैलजा से साक्षात्कार

कम्युनिस्ट पार्टी की पहली महिला सदस्य- सुहासिनी नांबियार

बिहार में लहराया वामपंथ का परचम - रामपरी

कविता - मीना कंडास्वामी

राजसत्ता का मेरे जीवन में प्रवेश - जगीशा अरोरा

भाजपा को लव जिहाद का सहारा - सुभाषिणी अली

कोरोना से बेहाल घरेलू कामगार - मधु गर्ग

घरेलू कामगार फोटो

अवैध शराब से हरियाणा में मौतें - सविता

हाथरस में तार तार हुये मानवीयता और संविधान - मधु गर्ग

काश्मीर की दो बहादुर महिलाओं की कहानी - सुभाषिणी अली

म प्र के विधानसभा उपचुनाव - संध्या शैली

संपादकीय

सबसे पहले तो आप सबसे माफी मांग लें की यह न्यूजलेटर दो हफ्ते देर से निकल रहा है। बिहार मे विधान सभा के चुनाव प्रचार मे रामपरी व्यस्त थीं, मध्य प्रदेश के उप चुनाव मे संध्या व्यस्त थीं, मंजीत को करोना ने ले दबोचा, और जाहिर है की इनकी मदद के बगैर, न्यूजलेटर का निकलना संभव नहीं है। एक तरह से यह अच्छा भी हुआ क्योंकि हम इन दोनों राज्यों के चुनावो के नतीजो के बारे मे रामपरी और संध्या के लेख भी आप तक पहुंचा सके हैं। बिहार के चुनाव मे महागठबंधन की बढ़त, एन डी ए के वोटों का कम होने के बावजूद सरकार बनाने मे सफलता (जिसमे बेईमानी ने भी उनकी मदद की) महत्वपूर्ण रहे लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है संयुक्त वामपंथ (जो महागठबंधन का हिस्सा था लेकिन जो कई सालों से बिहार मे मिलकर अभियान और संगर्ष चला रहे हैं) की जबरदस्त सफलता। विधान सभा मे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यह ताकत रंग लाएगी और बाम पंथ के आगे बढ्ने के तमाम रास्ते खोज निकालेगी। वामपंथ की सफलता का देश भर मे स्वागत हुआ है और तमाम लोगों को मानना पड़ा है की वाम पंथ जिंदा है और उसका जिंदा रहना प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है।

एक और गलती की माफी मांगनी है। पिछले अंक मे जिस कविता को महादेवी जी की कविता के रूप मे छापा था वह दरअसल उनकी नहीं, प्रतिष्ठित दलित कवि, सुदेश तंवर जी, की है लेकिन कई कविता-संग्रहों मे इसे महादेवी जी की कविता के रूप मे प्रकाशित किया गया है। हमने तंवर जी से भी माफी मांग ली है और उन्होने माफ करते हुए हमे अपनी तमाम कविताओं को छापने की अनुमति भी दे दी है।

पिछले हफ्ते चुनाव नतीजो से भरे रहे हैं। अमेरिका का चुनाव काफी रोचक रहा। अंत मे डेमोक्रटिक पार्टी की जीत हुई और इसके लिए काली नस्ल के लोगों का अद्भूत समर्थन और वामपंथी विचारधारा के डेमोक्रेटिक नेताओं का अथक परिश्रम काफी हद तक जिम्मेदार था। अब जीतने वाले इन बातों को याद रखेंगे, यह देखने की बात है। अभी तो हारे हुये ट्रम्प अपनी हार को ही मानने के लिए तयार नहीं हैं और वे अमेरिकी प्रजातन्त्र का किस हद तक मटियामेट करेंगे, यह भी देखने की बात है।

बहुत ही उत्साहित करने वाला चुनाव नतीजा बोलिविया मे MAS पार्टी की जबरदस्त जीत का रहा। वामपंथी और पहले मूलनिवासी राष्ट्रपति, मोरालेज, को अमरीका के इशारे पर देश छोड़ने के लिए मजबूर करके एक दक्षिणपंथी सरकार को जबरन बैठा दिया गया था जिसने तमाम जन-विरोधी नीतियों को लागू करने की पूरी कोशिश की। बोलिविया प्राकृतिक सान-साधनो मे समृद्ध बहुत गरीब लोगों का देश है। ईवो मोरालेस ने इन संसाधनो की विदेशी कंपनियों द्वारा लूट पर रोक लगाकर उनको अपने खिलाफ सक्रिय करने का काम किया था। जिस दिन उनको बोलिविया छोड़ना पड़ा, उसी दिन टेसला कंपनी जो बिजली द्वारा चलने वाली वाहन बनाने वाली कंपनी है, उसके शेयर-कीमत मे जबरदस्त उछाल आया क्योंकि उसकी बैटरी के लिए महत्वपूर्ण लिथियम बोलिविया मे बड़ी मात्र मे पायी जाती है और अब उस पर कब्जा जमाना आसान हो गया। लेकिन जिस दिन MSA को भारी बहुमत मिली, उसी दिन टेसला के शेयर भी लुढ़के। यह हमे बताता है की 'प्रजातन्त्र के खेल' मे पर्दे के पीछे छिपे पूंजीपति किस तरह अपनी कठपुतलियों को नचाते हैं! 9 नवम्बर को ईवो मोरालेस बोलिविया लौटे और गरीब जनता, खास तौर से महिलाएं जिन्होने उनके लौटने को संभव करने मे भारी भूमिका अदा की थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।

नवंबर के इस महीने मे हमने दो महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने का काम किया है - "भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष" और "महान रुसी क्रांति"। इन दोनों घटनाओं ने महिला मुक्ति के आंदोलन का मार्ग स्पष्ट करने और उसे पूरी दुनिया मे आगे बढ़ाने मे जो योगदान किया है उसे पूरी तरह से आज भी नहीं समझा गया है। हमारे संगठन के नेताओं ने इन दोनों घटनाओं के सिलसिले मे आयोजित तमाम आन-लाइन कार्यक्रमों मे भाग लेकर इस विचार पर अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से जाहिर किया है। हमने इस न्यूजलेटर मे का सुहासिनी चट्टोपाध्याय के बारे मे थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की पहली महिला सदस्य थी और सोवियत यूनियन के शुरुआती दिनों मे उन्होने वहाँ काफी समय बिताया था। हमारी कोशिश रहेगी की हर अंक मे हम किसी न किसी भारतीय महिला क्रांतिकारी की जानकारी दें।

'मैं जी नहीं सकती हुँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती हुँ' - क्या इन शब्दों को देश के हाकिम सुन रहे हैं। इन शब्दों को लिखकर, अपने माँ-बाप से माफी मांग कर, तेलंगाना की गरीब दलित घर मे पैदा, भूमिका (असली नाम नहीं) ने अपनी जान दे दी। वह प्रतिभाशाली छात्रा थी जिसने दिल्ली के आला दर्जे के कालेज "एलएसआर" मे छात्रवृती के सहारे प्रवेश पाया था। लाक डाउन मे उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो

पा रही थी क्योंकि उसके पास लैप टाप नहीं था। हास्टल से कालेज का प्रशासन सारी बच्चियों को निकालने का फैसला कर चुका था और उसके लिए नवंबर के बाद किराये पर कमरा लेकर पढ़ना असंभव था। उसकी छात्रवृती का पैसा भी नहीं पहुंचा था। चारों तरफ से हारकर, वह संस्थागत उदासीनता की शिकार बनी और रोहित वेमुला की याद फिर से ताजा हुई। दिल्ली और एस एफ आई के नेताओं ने भूमिका की इस हत्या की निंदा करते हुए न्याय की मांग उठाई है। लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है की हमारे प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री सब मौन हैं। मनु के प्रति उनकी निष्ठा उनका मुंह बंद किए हुए है।

जो विषय आज भी हमारे हृदय को चीरने का काम कर रहा है, हमे विचलित कर रहा है और हमे आक्रोशित कर रहा है उसे इस संपादकीय के अंत के लिए ही रखा है। हमारी हाथरस की बहन आज भी हमसे न्याय की लड़ाई को जारी रखने की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश की मनुवादी सरकार अपनी पूरी ताकत आरोपियों को बचाने मे लगा रही है। हम भी तय कर लें की न्याय की लड़ाई को हम आपने साथ और तमाम संगठनों को जोड़कर अंत तक लड़ेंगे।

आप सबको दीपावली की शुभ कामनाएं !! अंधकार मे भी हमारी एकता, हमारी ताकत और हमारा संघर्ष दिया जलाकर रौशनी लाएगा !!

सुभाषिनी अली

<u>महिलाओं और दलितों पर होने वाले इन बर्बर और भयानक हमलों का एकजुटता के साथ मुकाबला करो।</u>

<u>-मरियम ढवले महासचिव एडवा</u>

अक्टूबर 28 को बंबई में एक महिला टी वी कलाकार पर एक युवक योगेश कुमार ने चाकू से हमला किया क्योंकि उस महिला ने योगेश के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसी तरह से 27 अक्टूबर को बल्लभगढ में 21 साल की एक कॉलेज की छात्रा की दिन दहाडे गोली मार हत्या कर दी गयी जब हमलावर तौसीफ उसका अपहरण करने में असफल हो गया। पंजाब में होशियारपुर जिले एक गांव में एक छह साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसे जला कर मार डाला गया। आरोपी गुरूप्रीत सिंह ओर उसके दादा सुरजीत सिंह को इस बर्बर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक और घटना में दिल्ली में एक दलित घरेलू कामगार किशोरी अपने कार्यक्षेत्र पर मृत पायी गयी। लेकिन दिन्नी पुलिस ने एक महीना बीत जाने के बाद भी इस पर एफ आई आर तक दर्ज नहीं की।

उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बारे मे तो सभी जानते हैं लेकिन भाजपा आर एस एस के योगी आदित्यनाथ के शासन वाले इस राज्य में महोबा जिले में नवरात्रि के दिनों में मंदिर से आरती के बाद लौट रही एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। फिरोजाबाद जिले में एक ग्यारहवी में पढने वाली छात्रा ने तीन नौजवानों की छेडछाड का जब विरोध किया तो उसके सिर पर पांच बार गोलियां मार कर हत्या कर दी गयी। जौनपुर में एक खेत में काम कर रही एक 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बाराबंकी में भी खेत में काम करने गयी एक किशोरी अर्धनग्न अवस्था में एक पेड़ से बंधी हुयी मिली। तीन नाबालिग दलित बच्चियों पर उस वक्त हमला किया गया ज बवे सो रही थीं। उन पर एसिड फेंका गया। झांसी कॉलेज के परिसर में एक दसवीं क्लास की छात्रा को जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और दूसरे कई लोगों ने इस बलात्कार का वीडियो बनाया। उसे धमकी दी गयी कि यदि उसने शिकायत की तो इस वीडियो का वायरल कर दिया जायेगा। चित्रकूट में एक पंदरह वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली।

उत्तर प्रदेश अब अराजकता का प्रदेश बनता जा रहा है। राज्य की सरकार का संरक्षण लेकर प्रदेश में बलात्कारी और गुंडे राज कर रहे हैं विशेष रूप से यदि वे उंची जाति के हैं। पिछले दो महीनों में महिलाओं और विशेष रूप दलितों के खिलाफ अपराध तेजी से बढे हैं। उत्तर प्रदेश में मनुवादी सोच के साथ राज करने वाले शासकों का दृष्टिकोण साफ बताता है कि मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र में महिलायें,अल्पसंख्यक,दलित और आदिवासी किस तरह के खतरों का सामना करेंगे।

ये घटनायें उन हजारों घटनाओं में से कुछ हैं जिनकी कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं होती है। हम भारतीयों के लिये महिलाओं और दलित और विशेष रूप् से दलित महिलाओं पर बढती हिंसा की घटनायें चिंता का विषय होना चाहिये। महामारी के बहाने देश की सरकार आम

जनता के खिलाफ और अपने साथी पूंजीपतियों के पक्ष में तेजी के साथ नये कानून लाने या कानूनों में बदलाव करने और इस देश के जनतांत्रिक चरित्र को ही बदलने के अपने एजेंडे पर तेजी से चल रही है।

जातीय और धार्मिक घृणा का जहर खुले रूप में फैलाया जा रहा है।

राष्टीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। वास्तविक आंकडा इससे कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में 2015 से 2016 के बीच 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। खुद सरकार के अनुसार भारत में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 4,05,861 घटनाए हुई जो 2018 के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक थीं। यह हमारे देश की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

बच्चों की तस्करी में बढोत्तरी गरीबी,भुखमरी,बेरोजगारी मासूम बच्चों को इस अमानवीय शोषण का शिकार बना रहे हैं। गरीब परिवारो को बेहतर जिंदगी का लालच देकर उनके बच्चों को काम पर भेजने के लिये मजबूर किया जा रहा है। कई बार पालको की जानकारी के बिना बच्चों को लालच देकर उनकी तस्करी की जाती है। वापस आये बच्चों की हृदयविदारक कहानियां सिहरन पैदा करती हैं। तस्करी की शिकार हुयी लड़कियों को निश्चित रूप से बेहद अमानवीय शोषण का शिकार होना पड़ता होगा। इन स्कूल जाने और वहां के मध्यान्ह भोजन पाने के लायक उम्र वाले बच्चों के प्रति होने वाली यह क्रूरता दरअसल मुनाफे की हवस वाली बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था की हृदयहीनता को उजागर करती है। कोविड महामारी ने इस क्रूरता और गरीब परिवारों की असहायता को और भी बढा दिया है।

जनतंत्र खतरे में: एक मात्र रास्ता संघर्षों की एकता - उन्नीसवीं सदी के मध्य से जाति उन्मूलन का संघर्ष जारी है। समाज सुधार के आंदोलनों ने भारत को इस सदियों पुरानी अपमानजनक, शोषणकारी और सामाजिक असमानता की प्रथा से मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जातिगत भेदभाव प्रशासनिक हलकों में भी गहरे से बैठा हुआ है। यहां तक कि प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि वाल्मिकी समाज मैला ढोने की प्रथा से आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिये जुडा था।

इस प्रतिक्रियावादी सोच को जबरन लागू करने की कोशिशों को चुनौती देनी होगी। यह सरकार किसी भी नियम या कानून को मानने से इन्कार करती है। इसका ताजा उदाहरण हाथरस की पीडित के मृत शरीर को उसके पालकों की अनुपस्थिति में रात को ही जला देने वाली घटना है। जो भी इस सरकार के तानाशाही,फासीवादी शासन का विरोध करता है उसे राष्टविरोधी करार दे दिया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उनके साथ खडे तमाम लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उनके मनोबल को तोड़ने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है।

लेकिन 29 अक्टुकर का देश भर में हुये प्रदर्शनों ने हमारी ताकत का इजहार कर दिया है। हम मिलजुल कर आवाज उठाते हुये एक बेहतर भारत बनाने के लिये एक साथ उठ खडे होंगे और इस अन्याय और दमन को पराजित करेंगे।

<u>कोरोना महामारी से केरल की जनता का संघर्ष</u>

<u>(केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का फेसबुक लाइव)</u>

कैप्टन लक्ष्मी सहगल के जन्मदिन 24 अक्टूबर को केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने एडवा उत्तरप्रदेश के फेस बुक पेज पर कहा कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जीवन उन्हें प्रेरणा देता है। फिर उन्होने बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया की स्वास्थ मंत्री की हैसियत से उन्होने इस करोना काल मे केरला मे क्या क्या करने की कोशिश की।

'हमारे पास पहले से वायरस से लड़ने का अनुभव था , परन्तु यह वायरस क्रूर वायरस है और बहुत तेजी से फैलता है हांलाकि इससे मृत्युदर कम है।

केरल सरकार ने कोविड 19 से निबटने की तैयारी तभी शुरू कर दी थी जब वुहान (चीन) से इस वायरस की खबर आई। आज पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय है कि किन सरकारों ने कोविड 19 से निबटने में तत्परता दिखाई। एक तरफ अमेरिका , इंग्लैंड और इटली जैसे पूंजीवादी देश वायरस से निबटने में अक्षम साबित हुए वहीं दूसरी ओर साम्यवादी देश जैसे कि क्यूबा , वियतनाम काफी बेहतर ढंग से निबट सके। रूस भी वायरस से संघर्ष कर सका क्योकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी नियंत्रण है।

बहुत से यूरोपीय देशों ने वेबनार के माध्यम से हुई मीटिंग में यह प्रश्न पूछा कि केरल जैसा छोटा राज्य इतने सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे कोविड 19 जैसी महामारी से निबट पाया और मृत्युदर इतनी कम कैसे है। केरल में सार्वजनिक स्वास्थ सेवा का ढांचा हमेशा से मजबूत रहा है। देश की पहली कम्युनिस्ट सरकार, 1957 की कॉमरेड ई एम एस नंबूदरीपाद की सरकार थी और उसके समय से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया गया। कॉमरेड मेनन जो उस समय स्वास्थ मंत्री थे, उन्होंने गाँव-गाँव में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र बनवाये और स्वास्थ सुविधाओं को जन - जन तक पहुंचाया। वह सरकार केवल 2 साल ही चली पर इन दो सालों में भूमिसुधार और सार्वजनिक स्वास्थ सेवाओं पर महत्वपूर्ण कार्य हुए।

हर पाँच साल के बाद आने वाली वामपंथी सरकारों ने लगातार सार्वजनिक स्वास्थ सेवाओं पर कार्य किया। उसी का परिणाम है कि आज हर 5000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ केंद्र उपलब्ध है। केरला की वर्तमान सरकार ने पिछले 4 सालों में कुछ अभियान

शुरू किए जैसे कि स्वच्छ जल की उपलब्धता, कूड़ा निस्तारण की योजना, सर्व शिक्षा अभियान और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का नवीनीकरण आदि।

आन्ध्रम् स्वास्थ मिशन के तहत केरला सरकार ने स्वास्थ के ढांचे को मजबूत करने के लिए लोन लिया है और सरकार 3000 करोड़ रूपय स्वास्थ सेवाओं पर खर्च कर रही है। केरला सरकार का मिशन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार स्वास्थ्य केन्द्र में बदले जाये और अब तक 900 में से 600 बदले जा चुके हैं।

परिवार स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी घर - घर जाकर परिवार से पूछते हैं कि कोई बीमार तो नही है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड 19 का भी इलाज हो रहा है। इसके अलावा लोगो की कॉन्सलिंग की भी व्यवस्था है। यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्टाफ जनसंगठनों की और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से घर - घर में जागरूकता पहुंचाते हैं। पिछले 4 सालों में शिशु मृत्युदर 12 से घट कर 7 पर आ गई है, वहीं मातृत्व मृत्युदर 67 प्रति लाख से घट कर 30 प्रति लाख पर आ गई है।

दुर्भाग्यवश, लॉक डाउन खुलने के बाद लोगों के बाहर से आने के कारण केस बढ़े पर उस पर भी नियंत्रण पा लिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने बार - बार समझाने के बाद भी भीड़ इकट्ठा की और मास्क भी नही पहने पर जब उनके कार्यकर्ता और नेता खुद बीमारी की चपेट में आये तब सहयोग पर राजी हो गए।

इस समय केरल ने महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है और महामारी से मृत्युदर 0.34 है जो कि देश में 1 से ज्यादा है।

दीप्ति मिश्रा

कम्युनिस्ट पार्टी की पहली महिला सदस्य- सुहासिनी नांबियार

From L to R: Hugh Lester Hutchinson with Suhasini Nambiar, Mrinalini Chattopadhyaya, and Mrs Rajam.
Photo Courtesy: Mumbai Special Branch.

सुहासिनी एक गहरी राजनीतिज्ञ एवं आदतन उदारवादी महिला थी। (आई.एन.ए.) की कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने जिन्हें अपना पहला राजनैतिक गुरु कहा जिनका निधन बम्बई में सन् 1973 को हुआ। 1950 के दशक के अंत तक सुहासिनी राजनीति में रही। 1960 के दशक में नये रुप में उभरती राजनीति को स्वीकार ना कर पाने के कारण वह धीरे–धीरे पीछे हट गई। उनकी तबियत खराब हो जाने से जल्द ही वह हो गई और वह व्हील चेयर से बंध गई। पहली महिला कम्युनिस्ट सुहागिनी ने अपने शानदार जीवन में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पोलित ब्यूरों के सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा ''जब में उनसे मिली तो वह सामाजिक कार्यो में सक्रिय थी लेकिन वह एक गहरी राजनीतिज्ञ महिला बनी रही। अली के अनुसार 'सुहासिनी अपने एन.जी.ओ. न्यू वर्क सेन्टर फार विमेन के साथ बहुत अन्त तक सक्रिय थी।'' उनके करीबी लोगों के अनुसार सुहासिनी वास्तव में भावनात्मक आघात से उबर नहीं पाई। जो कि सामने नहीं दिखा

उन्होने राजनीति में प्रवेश किया और बम्बई में सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य में लेकिन वह नहीं दिखा उन्होनें राजनीति में एक व्यक्ति के रुप में जाना जारी रखा। 1938 में उन्होंने आर0एम0 जम्शेकर एक कवि और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता से विवाह किया। नाम्बियार के अपने जर्मन सचिव के करीबी बनने के कारण सुहासिनी ने उन्हें छः साल के लिये भारत आने की अपील की आखिरकार नाम्बियार ने शादी को समाप्त कर दिया। जिससे सुहासिनी पूरी तरह टूट गई और अवसाद ग्रस्त हो गई। बालाचन्द्रन ने कहा कि नाम्बिमार और सुहासिनी काफी असामान्य युगल थे। जबकि नाम्बियार एक कम प्राफाइल वाले वामपंथी पत्रकार बनना पसंद करते थे और तटस्थ रहते थे। सुहासिनी आग की ज्वाला थी वे दोनों सम्बन्ध तोड़ने के लिये बाध्य थे। बम्बई में सुहासिनी कम्यूनिस्ट आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गई और मेरठ षड़यन्त्र केस में गिरफ्तार लोगों की सहायता करने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सुहासिनी ने लिटिल बेले ग्रूप और इन्डियन पीपुल्स थियेटर एसोसिएशन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में उन्होंने उन नाटकों का मंचन किया जिन्हें जनता ने खूब सराहा। उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के लिये द न्यू स्पार्क का प्रकाशन भी शुरु किया। 1928 में कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल के निर्देशानुसार भारत में साम्यवादी आंदोलन को सक्रिय करने के लिये वह भारत लौट आई। कम्प्यूनिस्ट इन्टरनैशल के मतानुसार उक्त आंदोलन काफी ''सुस्त लेकिन नैतिक'' था। नाम्बियार बर्लिन में वापस आ गये और एक अलगाव जो अंत तक रहा।

बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला

रामपरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवा

बिहार विधान सभा का चुनाव कोविड के समय कराया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विपक्ष, कोरोना काल में चुनाव नहीं कराया जाए, इस माँग को लेकर लगातार चुनाव आयोग से गुहार लगाती रही। वही एन.डी.ए. समय पर ही चुनाव कराने के लिए जोर डालते रहा। क्योंकि भाजपा गठबंधन, महामारी में भी अपनी जीत की संभावना तलाषने लगी। भाजपा नेता सुषील कुमार मोदी का कोरोना काल में डिजिटल चुनाव कराने पर जोर डालते नजर आये। आखिरकार चुनाव समय पर और सामान्य तरीके से सम्पन्न हुआ। जनता ने कोरोना से भयमुक्त होकर बड़ी-बड़ी चुनावी सभा, कैम्पेन और प्रचार कार्यक्रम में भागीदारी निभाई।

भाजपा इस चुनाव में नीतीष कुमार से आगे निकलना चाहती थी, जो चुनाव कैम्पेन के दौरान देखा गया कि किस तरह से दर्जनों मंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा नेताओं की सभा हुई है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12-14 सभाएँ की, दर्जनों हेलिकॉप्टर उतारे गये, लग रहा था लोकसभा का चुनाव हो रहा है। "भाजपा है तो भरोसा है" यह चुनाव भी भाजपा मोदी के नाम पर ही लड़ने की कोषिष की। होर्डिंग में सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो नजर आ रहा था नीतीष का नही। हलांकि भाजपा के नेताओं ने इस चुनाव को भी साम्प्रदायिक रंग देने की कोषिष की, लेकिन 15 वर्षो के नीतीष शासन से जनता उब चुकी थी, लोगं बदलाव चाहते थे। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को नौकरी, सामाजिक सुरक्षा पेंषन, 400 से बढ़कर 1000 देने, स्कीम वर्करों का मानदेय दुगुना करने, बिजली बिल में 50 प्रतिषत रियायत, कृषि ऋण माफ जैसे कई वायदे किये। जिसने आम जनता के अन्दर उत्साह पैदा किया। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस के अलावा वामपंथी दलों के शामिल होने से जनता में एक भरोसा और विष्वास पैदा हुआ जो चुनाव में भी देखा गया। 29 सीट वामपंथ को मिला जिसमें 16 पर जीत दर्ज की है। सीपीएम चार में से दो जीता और दो में बहुत कम मतो से पराजित हुआ। राजद का भाी अच्छा प्रदर्षन रहा। सबसे अधिक 70 सीट, काँग्रेस को मिला, जिसमें मात्र 19 सीट ही जीत पायी। महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण काँग्रेस पार्टी रहा। बिहार में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। लोग कांग्रेस और भाजपा में कोई अन्तर नहीं समझते हैं।

नीतीष-भाजपा की सरकार पिछले 15 वर्षों में जनता से सिर्फ झूठे वादें किये हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार को विषेष राज्य का दर्जा, सवा लाख करोड़ का विषेष पैकेज, दो करोड़ नौकरी, सभी जुमला साबित हुआ। सुषासन की बात करते हैं लेकिन इस सरकार में महिला हिंसा की घटना में बढ़ोतरी हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह काण्ड जहाँ 34 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना, इस घटना की दोषी समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को फिर भी जदयू ने बेगूसराय जिला के चेरिया-बरियारपुर से टिकट दे दिया, लेकिन जनता महान होती है। वहाँ की जनता और महिलाओं ने मंजू वर्मा को बुरी तरह से हरा दिया। नीतीष कुमार को लग रहा था कि महिलाएँ जदयू को वोट करेंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस के बाद सबसे कम सीट नीतीष कुमार को ही मिला। प्रदेष में साम्प्रदायिक हिंसा में 22.5 प्रतिषत वृद्धि हुई है। आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील, आषाकर्मी जैसे लाखों स्कीम वर्कर का मानदेय समान काम का समान वेतन, जैसे मुद्दें लगातार उठते रहे हैं। गरीबों के लिए वास की जमीन, कोरोनाकाल में प्रवासी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, कोई रोजगार और राहत नहीं, किसानों की तबाही ये सब जनता भूली नहीं। इस चुनाव में वामपंथियों पर जनता ने भरोसा जताया है। हमारे सामने बड़ी चुनौती है। भाजपा को सत्ता से दूर रखना, विधानसभा के बाहर और भीतर जनता के मुद्दों पर कृषि, रोजगार, महिला सुरक्षा एवं समान काम का समान वेतन के लिए आंदोलन चलाना।

30.10.20

चेतावनी को दागो हिंसा और बलात्कार के चित्रण

मीना कांडास्वामी

हाथरस मे बलात्कार-पीड़ित महिला के घर की किलेबंदी कर

उसकी लाश का अपहरण कर, पीड़ा से कराहती उसकी माँ को अनदेखा कर

एक जानलेवा रात को पुलिस उसका करती है अग्निदाह

ऐसे देश में जहाँ दलित शासन नहीं कर सकते, क्रोध नहीं जता सकते, शोक तक नहीं मना सकते

यह पहले भी हुआ है, यह दोबारा भी होगा !

वह अग्नि क्या याद करती है? सतियों की चीखे

जिन्हे अपने पतियों की चिताओं की ओर घसीटा गया था और जलायी गयी दुल्हनों को,

मारे गए जाति-पीड़ित प्रेमियों का विलाप,

बलात्कृत महिलाओं की कटी जुबान की चिल्लाहट

यह पहले भी हुआ है, यह दोबारा भी होगा।

मनु ने एक बार कहा था सो उसकी पलटन आज दोहरा रही है

तमाम औरतें वैश्या हैं, तमाम औरतें नीच हैं

तमाम औरते बस चाहती हैं संभोग, इसलिए वे पाएँगी बलात्कार

मनु पुरुषों को दे गया है लाइसेन्स प्लेट, बलात्कार करने का ऐसा फरमान

यह पहले भी हुआ है, यह दोबारा भी होगा

यह पहले भी हुआ है, यह दोबारा भी होगा

सनातन, इस समाज पर लागू एकमात्र कानून,

सनातन, जहां कुछ भी, कुछ भी नहीं बदलेगा।

हमेशा, हमेशा, एक पीड़िता पर दोष ठहराने वाला मलिन नमूना,

एक बलात्कारी को बचाने वाला पुलिस-राज, एक जाति की सच्चाई को नकारने वाला प्रचार तंत्र

अनुवाद: मनजीत राठी

(मीना कन्डस्वामी तमिल और अंग्रेजी की मशहुर, वाम पंथी लेखिका और कवियत्री हैं। उन्होने हाथरस की पीड़िता की मौत के तुरंत बाद यह कविता लिखी थी। उन्होने हिन्दी मे अनुवाद करके इस न्यूजलेटर मे उनकी कविता सम्मिलित करने का मेरा अनुरोध तुरंत स्वीकार किया: संपादक)

<u>राजसत्ता ने मेरे निजी जीवन मे कैसे हस्तक्षेप किया – जागीशा अरोरा (पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी)</u>

18 अगस्त को मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन से पहली रात घर में बहुत उत्साह थाऔर प्रशांत ने अपनी पसंदीदा मटन बिरयानी बनाई थी। सभी खुश थे। मैंने बड़े चाव से जन्मदिन मनाने की पूरी योजना बनाई थी , लेकिन दोपहर को दरवाजे पर हुई दस्तक के साथ सारी योजना धरी की धरी रह गई। इस घटना ने मुझे फिर जून 2019 का दिन याद दिला दिया क्योंकि जो जून 2019 मे हुआ, वह आज फिर से हो रहा था। जब प्रशांत को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था, तो मैं भी सुर्खियों में आई। लोगों ने मेरे अपने शब्दों में मेरी बात सुनी, मेरा दृष्टिकोण जाना। आज, मैं अपनी कहानी बताना चाहती हुँ कि मैं कौन हुं और जगीशा अरोड़ा होने के क्या मायने है? समाचार पत्र और टीवी चैनल मुझे केवल 'प्रशांत की पत्नी' कह कर संबोधित करते हैं। हालांकि यह सम्बोधन बहुत परेशान नहीं करता, लेकिन प्रशांत की पत्नी होने के अलावा, मेरी अपनी स्वतंत्र पहचान भी है।

मैं एक मध्यम वर्गीय उच्च जाति के परिवार से आती हुं। मैं छह साल की थी जब मैंने अपने पिता को खो दिया था। तब से, मुझे अकेलेपन और दुःख से जूझना पड़ा। पिता की अनुपस्थिति में घर पे भाई का नियंत्रण था, और एक लड़की होने के नाते मुझ पर तमाम प्रतिबंध

लगाए गए। हमारे घर में बी आर अम्बेडकर या ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का कभी जिक्र नहीं होता था । मैं अपनी जाति और उच्च जाति की महिला होने के निहितार्थ के बारे मे खास सचेत नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू समाज में जाति के आधार पर संरचनात्मक विशेषाधिकार के लाभ मुझे मिले थे । भले ही हमने गरीबी के दिन भी देखे, लेकिन मुझे कभी भी दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ होने वाले अपमान का सामना नहीं करना पड़ा।

मैं प्रशांत से 2018 में फेसबुक के जरिए मिली थी... धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब मैंने पहली बार अपनी पसंद जाहिर की थी, तब प्रशांत से एक गाना सुनाने का अनुरोध भी किया था, जो उसने सुबह 4 बजे मुझे सुनाया था...वह अद्भूत प्यार और शांति का क्षण था। फिर हम हौज खास गांव में अपनी पहली डेट पर गए...उस दिन के बाद हम निरंतर मिलते रहे और मुझे उसी शांति और खुशी का एहसास होता रहा।

एक दिन, मैंने प्रशांत के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। मेरे भाई को शक हो गया और उसने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। मैंने प्रशांत को फोन किया...उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, आप यहां आएं। मैंने अपनी किताबें और लैपटॉप ली और चली गई। प्रशांत के घर पहुंचते ही मुझे धमकी भरे फोन आने लगे और हमने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर, हमें पता चला कि मेरे परिवार ने पहले ही हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा दी थी। काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं प्रशांत के साथ ही रहुंगी। यह बहुत तनाव का समय था और यह प्रशांत के कारण ही था कि मैं शांत रह सकी। हमने शादी करने का फैसला किया और लखनऊ में एक आर्य समाज मंदिर में, संविधान द्वारा हमें दी गई धार्मिक पसंद की स्वतंत्रता के अनुसार विवाह रचाया।

...प्रशांत अम्बेडकर और पेरियार का बहुत सम्मान करते हैं, और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं... शादी के छह महीने बाद , 8 जून को, प्रशांत को एक ट्वीट पोस्ट करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। मैं घबरा गई और आनन फानन में जहां भी फोन कर सकती थी, सब को उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया। प्रशांत के लिए न्याय पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। वकीलों से मिलना, कानून को समझना, मीडिया के साथ बातचीत करना...और हम अंततः उसे बाहर निकालने में सफल रहे... लेकिन उसकी पोस्ट पर ट्रोल्स् द्वारा भेजी गई मौत की धमकियों ने मेरे मानसिक स्वास्थय को सदा के लिए प्रभावित कर दिया है।

नया साल आया, लेकिन प्रशांत के दोबारा पकड़े जाने की संभावना मुझे निरंतर सता रही थी। दहशत की वह घड़ी आखिरकार 18 अगस्त को आ ही गई जब दोपहर को हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे फ्लैट के बाहर सात अज्ञात आदमी थे। उन्होंने मुझे प्रशांत को बुलाने के लिए कहा। ष्प्रशांत हमें जानता है,ष् ष्हम उत्तर प्रदेश पुलिस हैंष्, उन्होंने कहा “यह प्रशांत के ट्वीट से संबंधित मामला था।ष्

हमें बाद में एफआईआर की एक प्रति सौंपी गई... कोई सुशील तिवारी श्हिंदू सेनाश् नामक एक पृष्ठ चलाते हैं। तिवारी ने पोस्ट किया था कि इस्लामी अध्ययन को यूपीएससी के पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। तब किसी ने मूल ट्वीट के साथ छेड़छाड़ की, ताकि यह पढ़ा जा सकेरू श्राम मंदिर में शूद्रों, ओबीसी, एससी, एसटी का प्रवेश निषेध रहेगा, सभी लोग एक साथ आवाज उठायें,श्...इसे प्रशांत ने रीट्वीट कर दिया लेकिन इसे सत्यापन के बाद तुरंत हटा भी दिया...

प्रशांत को ऐसे अपराध के लिए पकड़ा गया है, जो उसने किया ही नहीं। कितनी बार हममें से हर एक आवेग मे कुछ रीट्वीट करते हैं और बाद में इसकी तथ्यात्मकता सत्यापित होने के बाद इसे हटा देते हैं। क्या एक लोकतंत्र में इसके लिए सजा मिलनी चाहिए?...सांप्रदायिकता फैलाने, महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने वाले सोशल मीडिया के अनेक एकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है?

प्रशांत का अपराध यह है कि वह सत्तारूढ़ सरकार से सवाल पूछता है, और उनके नीतिगत मामलों पर अपनी राय रखता है। प्रशांत को अपनी राय और आवाज की अभिव्यक्ति के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही रिहा हो जाएगा। उस समय तक, मैं आप सभी से राजनीतिक रूप से प्रेरित कारावासों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करती हुं।मैं भीगी आँखों से यह सब लिख रही हुँ।

(प्रशान्त कन्नौजीया की जमानत अक्तूबर के आखरी सप्ताह मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंजूर की और उन्हे लखनऊ की जेल से पूरे 15 दिन बाद 6 नवंबर को ही छोड़ा गया। मेरी बात जागीशा से हुई और उसने मुझे अपने लेख का अनुवाद छापने की अनुमति दी जिसके लिए हम उसके आभारी हैं। उसने तरह-तरह की निष्ठा और बहादुरी दिखाई है जिसके लिया हम सब उसे बधाई भी दे रहे हैं दृ संपादक)

[भाजपा को फिर 'लव जिहाद' का सहारा]

-सुभाषिणी अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवा

अपनी पसंद से अंतर्जातीय तथा अंतर्सामुदायिक शादियां करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करनेवाले युवा जोड़ों को, अक्सर अपनी रक्षा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अदालतों की शरण लेनी पड़ती है।

ऐसे में ज्यादातर मौकों पर अदालतों ने उनकी हमदर्दीपूर्वक सुनवाई की है और राज्य सरकारों को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

कहीं भी किसी भी अदालत ने अपनी मर्जी के अनुसार शादी करने के इन जोड़ों के अधिकार पर सवाल नहीं उठाए हैं। अक्सर अदालतों ने तो उन लोगों को ही फटकार लगायी है, जो इस तरह के जोड़ों को डराते-धमकाते रहते हैं और कई मामले तो ऐसे भी आए हैं जब इन जोड़ों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही शारीरिक हिंसा सहनी पड़ी है और यहां तक कि कई बार तो जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे मामलों में अपराधियों पर अदालतों की जबर्दस्त गाज गिरी है।

बहरहाल, ऐसा लगता है कि कुमारी प्रियांशी उर्फ शमरीन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश का हाल का फैसला, अब तक चली आयी इस स्वागतयोग्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। न्यायाधीश के सामने मामला यूं था - जन्म से मुस्लिम प्रियांशी उर्फ शमरीन ने कहा कि उसने 26 जून, 2020 को हिंदू धर्म अपना लिया था और 31 जुलाई 2020 को उसने एक हिंदू से शादी कर ली। उसने अदालत से अपील की थी कि वह प्रतिवादियों-जिनमें उत्तरप्रदेश राज्य तथा उनके रिश्तेदार शामिल हैं- को निर्देश दे कि वे 'डराने-धमकानेवाले कदमों का इस्तेमाल करने के जरिए, उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल न दें।'

माननीय न्यायाधीश ने संरक्षण के लिए दी गयी इस याचिका को तो संबोधित नहीं किया और उल्टे उसके धर्म परिवर्तन के मामले पर ही पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखा। उनका कहना था कि क्योंकि उसने शादी से सिर्फ एक महीने पहले ही धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए 'उक्त धर्मपरिवर्तन सिर्फ शादी के उद्देश्य से किया गया था।'

इसके समर्थन में उन्होंने इसी अदालत द्वारा 2014 में दिए गए एक फैसले को उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया था कि 'शादी के उद्देश्य से किया जानेवाला धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है।'

वे तो यह कहने की हद तक चले गए कि, 'लिली थॉमस (सुप्रीम कोर्ट) के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 7,8 तथा 40 में यह कहा है कि आस्था में बिना किसी वास्तविक बदलाव के किसी गैर-मुसलमान का इस्लाम में धर्म परिवर्तन और वह भी शादी के लिए किया जानेवाला धर्म परिवर्तन अमान्य है।'

जहां तक दूसरे मामले का सवाल है, वह फैसला उन लोगों के संदर्भ में दिया गया था जो इस्लाम अपनाने के जरिए दूसरा विवाह करते हैं। उस वक्त तमाम महिला संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख का समर्थन किया था और अभी भी उनका रुख यही है।

बहरहाल, न्यायाधीश के समक्ष जो मामला था, वह पहली ही शादी से और संरक्षण देने की याचिका से जुड़ा था। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के अगर किसी फैसले का सहारा लिया जाना चाहिए था तो वह हदिया से संबंधित फैसला है, जो धर्म परिवर्तन (हिंदू से इस्लाम) और अंतर्धार्मिक शादी के इन दोनों ही सवालों का निपटारा करता है।

यहां सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने विभिन्न न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ एक सर्वसम्मत फैसला दिया था कि 'अपनी पंसद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान की धारा 21 (जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार) का अभिन्न हिस्सा है।'

और इस तरह उसने केरल उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले को पलट दिया था जिसने धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनी लडकी हदिया उर्फ सैफी जहां की शादी को निरस्त कर दिया था।

इस फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लिखा था, 'शादी या शादी के बाहर साथी का चयन हर व्यक्ति का विशेषाधिकार है। शादी की करीबियां निजता के कोर जोन के भीतर आती हैं, जो अनुल्लंघनीय है। जीवन साथी के चुनाव का किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार ऐसा है जो आस्था के मामलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र ढंग से अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी करता है। वास्तव में शादी के मामले में चुनाव के रूप में आस्था का चुनाव उस क्षेत्र में आता है जहां व्यक्ति की स्वायत्तता सर्वोच्च है....न तो राज्य, न ही कानून, साथी के चुनाव की हिदायत दे सकता है और न ही वे इन मामलों में किसी व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकते हैं। ये संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सार का निर्माण करते हैं।'

जहां तक धर्म या जीवन साथी के चुनाव का सवाल है, उससे संबंधित नागरिकों के अधिकारों के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के लिखित स्टेटमेंट के साथ सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला, किसी तरह की अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता।

यह भारी चिंता का विषय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण फैसले की अनदेखी करना चाहता है जिसने एक ऐसे मामले में, जिसमें युवा महिला हदिया को उसके पति से लंबे समय तक दूर रहने के लिए उत्पीड़ित किया गया था और जिसने उसके गृह राज्य केरल में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया गया था और जहां उच्च न्यायालय ने धर्मपरिवर्तन तथा शादी दोनों ही मामलों में कड़ाई के साथ हस्तक्षेप किया था, एक दूसरे की विरोधी कानूनी तथा अन्य रायों को शांत कर दिया था।

बहरहाल, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से हदिया के फैसले का ख्याल नहीं रखा और उसके समक्ष विचाराधीन सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचिका की पूरी तरह अनदेखी कर दी।

माननीय न्यायाधीश ने निम्नलिखित उद्घोषणा के साथ अपना फैसला सुनाया कि, 'उपरोक्त तथ्यों तथा हालात में यह अदालत भारत के संविधान की धारा 226 के तहत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। यह याचिकाकर्ता पर है कि वह अपने बयान दर्ज कराने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो।'

इस फैसले के दूरगामी निहितार्थ होंगे। इस तथ्य के अलावा कि संबंधित युवा जोड़े को असंरक्षित और मझधार में छोड़ दिया गया है और अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वे किन हालात से गुजर रहे हैं, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भाजपा के उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री तथाकथित 'लव जिहाद' में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विषाक्त अभियान चला रहे हैं।

पहले कर्नाटक में, फिर केरल में और अब उत्तरप्रदेश तथा अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में, भाजपा निरंतर 'लव जिहाद' का वितंडा खड़ा करती रही है। विभिन्न अदालतें इन आरोपों की सुनवाई कर रही हैं कि अनेक युवा मुस्लिम अक्सर अपने परिवारीजनों तथा समर्थकों की शह पर, हिंदू महिलाओं को फंसाने तथा उनसे शादी करने का षड्यंत्र रचते हैं। आरोप हैं कि इन महिलाओं का जोर-जबर्दस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उन्हें विभिन्न तरह के उत्पीडन का सामना करना पड़ता है।

अनेक अदालतों ने इन आरोपों की सुनवाई की है और वे इस नतीजे पर पंहुची हैं कि 'लव जिहाद' का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी हाल ही में 4 फरवरी, 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जी किशन रेड्डी ने एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए संसद में निम्नलिखित बयान दिया था -

'संविधान की धारा 25 अपने धर्म का पालन तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी करती है बशर्ते सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य बना रहे। केरल उच्च न्यायालय समेत विभिन्न अदालतों ने इस विचार की ताईद की है। कानूनों के दायरे के तहत "लव जिहाद" शब्द परिभाषित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों ने "लव जिहाद" का ऐसा कोई मामला नहीं पाया है।' (बल हमारा)

बहरहाल, यह स्पष्टीकरण भी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को रोक नहीं पाया है। वह दशकों से हिंदू महिलाओं और मुसलमान पुरुषों के बीच होनेवाली शादियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते रहे हैं और सत्ता में आने के बाद तो उनका रुख और कड़ा हो गया है।

पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक बार फिर कानपुर, बरेली तथा राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर हुयी ऐसी शादियों के बाद यह मुद्दा उठा दिया है। इन तकरीबन तमाम मामलों में यह पाया गया है कि महिलाओं ने अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चुनाव किया है।

ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, योगी के हाथों में एक हथियार की तरह आया है जिसमें मामले के तथ्यों की पूरी तरह अनदेखी की गयी है। जौनपुर में हुयी एक चुनावी सभा में योगी ने कहा कि खुद अदालत "लव जिहाद" के खिलाफ है।

उन्होंने मुस्लिम युवाओं को धमकाया कि जो भी इन मामलों में शामिल होगा, उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इन नतीजों में मौत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस तरह की शादियों को गैरकानूनी करार देने के लिए, कानून लाने पर विचार कर रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री तुरंत ही उनका अनुसरण करने के लिए आगे आ गए। एक हिंदू युवती, जिसने एक मुसलमान की कोशिशों को ठुकरा दिया था, की बर्बर हत्या के खिलाफ पैदा हुए रोष के माहौल में उन्होंने बयान दिया है कि उनकी सरकार भी इसी तरह का कानून बनाने पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने भी कह दिया कि उनकी सरकार (अगर हाल के उपचुनावों के बाद बची रही) भी इसी तरह का कानून बनाएगी।

यह बहुत ही त्रासदीपूर्ण बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के एक अविवेकी फैसले से, न केवल आस्था तथा शादी के मामलों में अपने निर्णय खुद लेनेवाले अनेक लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि उसने उन राजनीतिक नेताओं, जो अपने क्षुद्र राजनीतिक हितों के लिए मुद्दों का सांप्रदायीकरण करने से बाज नहीं आते, को भी एक हथियार दे दिया है।

जब वे अपने धुरवीकरण के अभियानों में 'अपनी बहनों तथा बेटियों की इज्जत' के मुद्दे को सामने लाते हैं, तो न सिर्फ भयावह सांप्रदायिक तनाव भडकाते हैं बल्कि इन्हीं 'बहनों और बेटियों' के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों के लिए भी खतरा पैदा कर देते हैं।

एडवा ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर चिंता जाहिर करते हुए एक बयान जारी किया है और जिस तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को और भडकाने के लिए, इसका विकृतिकरण किया जा रहा है, उसकी निंदा की है। विशेषज्ञों के साथ कानूनी विकल्पों पर चर्चा की जा रही है, ताकि संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा की जा सके।

शहरों के 'अदृश्य' मजदूर घरेलू कामगार महिलाएं

कोरोना काल में बदहाल होती स्थिति.....

मधु गर्ग, राष्ट्रीय सह सचिव एडवा

महामारी के समय लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश की सड़कों पर शहरों से गाँवों की ओर पलायन कर रहे मजदूरों की हृदय विदारक तस्वीरों ने हम सब को विचलित कर दिया था। सर पर गठरी लादे, गोद में बच्चा लिए पैदल चलती गरीब महिलाओं के सूखे चेहरों से उनका दर्द साफ दिखाई देता था। 'प्रवासी मजदूरों' का मुद्दा पूरे देश में एक बहस का मुद्दा बना। किन्तु इसी महामारी के दौर में एक वर्ग ऐसा भी था जो 'अदृश्य' था, जिनकी तकलीफों की ओर न तो सरकारों ने ध्यान देना जरूरी समझा और न ही इनका मुद्दा किसी चर्चा का विषय बना और यह वर्ग था घरेलू कामगार महिलाओं का। 'मजदूर' के रूप में पहचान न होने के कारण महामारी के समय इन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली जबकि इस पूरे दौर में इनकी स्थिति बद से बदहाल हो गई। लॉकडाउन की घोषणा होते ही इनके मालिकों ने इनको काम पर आने से रोक दिया और 'काम नहीं तो पैसा नहीं' के क्रूर सिद्धांत पर अमल करते हुए इनको वेतन देना बंद कर दिया जबकि प्रधानमंत्री ने अपने लोक लुभावन भाषण में घरेलू सहायिकाओं का पैसा न काटने के निर्देश दिए थे किंतु केवल भाषणों से क्या होता है, उसे अमल करवाने के लिए तो कोई कानून नहीं है। पति भी दिहाड़ी मजदूर जिनकी मजदूरी बंद हो गई, यदि किराये का कमरा है तो मकान मालिक भी किराया मांगता था, गाँव में भी खेती नहीं। जिनके पास राशन कार्ड उनके लिए राशन का गेहुं चावल ही एकमात्र जीने का सहारा था किन्तु उसमें भी कटौती हो रही थी। कभी सूखा चावल नमक और कभी सूखी रोटी नमक खा कर गुजारा किया। जनधन योजना का लाभ भी बहुत कम महिलाओं को मिला। जब जेब में पैसा नहीं तो साबुन, तेल या अन्य जरूरत की चीजें भी वे नहीं ले पा रही थीं। बीमार होने पर इलाज नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं थी।

शहरों के मध्यमवर्गीय कालोनियों, मोहल्लों को अपने श्रम से जिंदा रखने वाली इन 'अदृश्य' श्रमिक महिलाओं को आज तक 'मजदूर' का दर्जा भी नहीं मिला है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सरकारी दस्तावेजों में 'घरेलू कामगारों' को भी जोड़ा गया है किंतु आज तक इनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकारी पहल नहीं हुई है। इनके अधिकारों को लेकर लगातार जन आंदोलन हो रहे हैं। घरेलू कामगार महिला संगठन उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में लंबा संघर्ष किया है। लगातार चल रहे संघर्षों का ही परिणाम है कि सरकार ने हाल में ऐलान किया है कि 'घरेलू कामगारों' का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब समय ही बताएगा कि यह कोरी सरकारी घोषणाएं हैं या इन पर अमल भी होता है।

इस सम्बन्ध में लॉकडाउन पीरियड में घरेलू कामगार महिलाओं की स्थिति जानने के लिए एक सैम्पल सर्वे किया गया। एडवा द्वारा घरेलू कामगारों के सर्वे में एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आई कि लॉकडाउन पीरियड में अपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाओं के साथ बहुत दुव्र्यवहार किया गया। सोसायटी के गार्ड को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह किसी भी घरेलू कामगार को गेट के अंदर नहीं आने देगा और बकाया पैसा मांगने पर मालकिन फोन भी काट देती थी। जिन घरेलू कामगार महिलाओं ने मध्यमवर्गीय परिवारों के काम का बोझ अपने कंधों पर ढ़ोते हुए उन्हें सुकून की जिंदगी जीने का मौका दिया था, आज उनकी बदहाल स्थिति से उन्होंने अपने को बिल्कुल अलग कर लिया था बल्कि उनके हक का पैसा भी काट लिया था। हमारे सर्वे में यह भी तथ्य सामने आया कि 53 प्रतिशत घरेलू कामगार

किराए पर कमरा लेकर रहती हैं जबकि 40 प्रतिशत खाली प्लॉट में झुग्गी डालकर रहती हैं और आए दिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ा जाता है। केवल 5 प्रतिशत सदस्य घरेलू कामगार महिलाओं के पास अपने घर है जो आर्थिक तंगी के कारण घरेलू कामगार बन गईं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी घरेलू कामगारों को 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने काम पर वापस नहीं बुलाया है और लॉकडाउन पीरियड का वेतन भी नहीं दिया है। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि उनके खातों में सरकार द्वारा कोरोना आपदा राहत के रूप में सरकारी अनुदान दिया जाता किन्तु सरकार द्वारा कभी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी संख्या के बारे में कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ने (2011-12) यह अनुमान लगाया था कि देश में 39 लाख लोग घरेलू कामगार है, जिसमें 26 लाख महिलाएं हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि इस अनुमान से कहीं ज्यादा संख्या में घरेलू कामगार अपनी सेवायें दे रहीं हैं और पिछले 8-10 वर्षों में तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।

इतने बड़े वर्ग के प्रति सरकारों की उपेक्षा के कारण न तो इनके वेतन का और न ही इनकी छुट्टियों का कोई ढ़ाचा है और न ही काम की गारंन्टी की कोई कानूनी सुरक्षा है। यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने जैसे महाराष्ट्र में इस ओर कुछ पहल हुई है किंतु केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। इस संबंध में कानून के कई ड्राफ्ट इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की ओर से सरकार को दिए गए हैं किंतु सरकार ने इस और कोई ठोस पहल नहीं की है।

पिछले 15-20 वर्षों में बढ़ते कृषि संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन बड़ा। पलायन कर आये परिवार में अधिकांश भूमिहीन परिवार हैं जिनकी गाँव में कोई जमीन नहीं है। खेत मजदूरी पर भी संकट आने के बाद वे शहरों की ओर रोजी की तलाश में आये। इनके पास शहरों में रहने की कोई जगह नहीं थी तो खाली प्लॉट में झुग्गी डाल कर या फिर किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। परिवार के पुरुष दिहाड़ी मजदूर या किराए पर रिक्शा चालक या अन्य काम करने लगे जबकि महिलाएं मध्यमवर्गीय मोहल्लों व कालोनियों में घरेलू काम करने लगीं। इनकी संख्या और काम करने की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ी कि वे कम से कम पैसों में भी काम करने को तैयार होने लगीं। सरकार की ओर से कोई कानूनी सुरक्षा न होने के कारण यह जबरदस्त शोषण का शिकार होती रहीं हैं।

लॉकडाउन पीरियड में इनके घर का चूल्हा बिल्कुल ठंडा ही पड़ गया। गाँव में भी कुछ नहीं और शहरों में काम से रोक दिया गया। यदि किराए पर है तो मकानमालिक किराया न देने की सूरत में कमरा खाली करवाने की धमकी देने लगा। घरेलू कामगार महिला संगठन के बैनर पर संगठित इन महिलाओं ने सरकार के समक्ष लॉकडाउन के समय मालिकों द्वारा वेतन कटौती पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपने बकाया वेतन की भरपाई करवाने की मांग रखी है। घरेलू कामगारों के लिए 'कल्याणकारी बोर्ड' के गठन की भी मांग की है।

यह तबका इतना उपेक्षित है कि आये दिन मालिकों द्वारा भी अपमानित होता है मसलन बीमारी में छुट्टी लेने पर या घर में कोई सामान गुम हो जाये तो सबसे पहले यही महिलाएं संदेह का शिकार होती हैं इसलिए उन्होंने अपने संगठन से नारा दिया कि उन्हें 'सम्मान भी चाहिए और अधिकार भी' चाहिये। घरेलू कामगार महिलाओं ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वह घरों में काम करती हैं अतः गृहकर का 1 प्रतिशत ऐसे टैक्स के रूप में काटा जाये तथा कल्याणकारी बोर्ड के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाये जिसके तहत पेंशन बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित हो। सबसे बड़ी मांग है कि उनका सरकार द्वारा पंजीकरण हो जिसमें उनकी पहचान सुनिश्चित हो और सबसे मुख्य माँग है कि उनके लिए एक अलग कानून बनाया जाये। लड़ाई लंबी है पर संघर्ष जारी है।

हरियाणा मे अवैध शराब से मौतें

- सविता,एडवा राज्य महासचिव हरियाणा

एडवा की हरियाणा राज्य समिति ने सोनीपत व पानीपत में जहरीली शराब पीकर 42 लोगों की भयानक मौत की निंदा करते हुए उनके परिजन के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। समिति का मानना है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोग राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं और इसमे प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी दिखाई दे रही है।

हरियाणा भर में शराब की खपत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। परचून की दुकानों पर भी अवैध रूप से पाउचों में शराब की बिक्री हो रही है परंतु भाजपा-जजपा सरकार महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद इस अवैध बिक्री पर रोक लगाना तो दूर शराब की बिक्री बढ़वाने के लिए काम कर रही है। कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत में जब सब दुकानें बंद थी, तब भी सरकार ने शराब के ठेकों को चालू रखा और ठेकेदारों को अपने घर में हजार बोतल तक रखने की छूट दे दी।

हाथरस में तार तार हुये मानवीयता और संविधान

मधु गर्ग, राष्ट्रीय सह सचिव एडवा

14 सितंबर 2020 को उप्र के हाथरस जिले के बुराड़ी गांव में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है जब वह अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी। मां को जब उसकी अनुपस्थिति का भान होता है तब कुछ देर की तलाश के बाद उसकी बेटी उसे लगभग निवस्त्र और बुरी तरह घायल अवस्था में मिलती है। मां और भाई बिटिया को स्थानीय थाने चंदपा लाते हैं। पुलिस मारपीट की रिपोर्ट उसकी बिना मेडिकल जांच करवाये दर्ज कर लेती है।

बिटिया को अलीगढ़ के मेडिकल कालेज में भर्ती किया जाता है। बिटिया की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और दुपट्टे से गला घोंटने के कारण जीभ भी कट गई थी। 11 दिन बाद मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होता है जिसमें वह सामूहिक बलात्कार की बात स्वीकार करते हुए चार ठाकुर जाति के लड़कों के नाम बताती है।इस बयान के बाद प्राथमिक रिपोर्ट में बलात्कार की धाराएं बढ़ाई गईं और पीड़िता की मेडिकल जांच हुई।

पीड़िता की स्थिति जब बिगड़ने लगी तो उसे दिनांक 28 सितंबर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस व प्रशासन ने पीड़िता का शव परिजनों को न देकर आधी रात को ही पेट्रोल से जला दिया जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश था।

सरकार और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैए ने यह संदेश दिया कि सरकार दबंग जातियों के साथ खड़ी है और उन्हें बचाने का काम कर रही है जैसे उप्र पुलिस के बड़े अधिकारी ने प्रेस कांफ्रेंस करके पीड़िता के बलात्कार की रिपोर्ट पर सवाल उठाए जबकि यह वैज्ञानिक तथ्य है कि बलात्कार के 11 दिन बाद जांच में बलात्कार के चिन्ह नहीं मिल सकते हैं।

पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे राजनैतिक दलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका गया वहीं आरोपियों के पक्ष में जातीय पंचायतों की पुलिस मूकदर्शक बनी रही। जांच के लिए बनी एसआईटी टीम ने पीड़ित परिवार का ही नार्को टेस्ट करवाने का गैरकानूनी ऐलान किया। परिवार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में केस की जांच की मांग की किंतु केस को सीबीआई को सौंपा गया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदार प्रशासन को फटकार लगाई और पीड़िता के शव के अपमान जनक अंत्येष्टि पर जवाब देने को कहा है।

सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हाथरस केस में हुए अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों को उप्र के मुख्यमंत्री द्वारा जातीय दंगों की साजिश बताई गई है और इस संबंध में कई पत्रकारों को भी गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया है।

यह पूरा मामला उस नये भारत की ओर इशारा करता है जहां संविधान के स्थान पर "मनुस्मृति" होगी और इंसान की पहचान "नागरिक" के रुप में न होकर उसकी "जाति और धर्म" से होगी।

जम्मू-कश्मीर की आज की हकीकत और दो निडर औरतों के संघर्ष की कहानी

- सुभाषिणी अली

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा-370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर राज्य को बांटकर, दो केंद्र-शासित क्षेत्र बना दिए गए। और यह सब किया गया, बहुत ही अत्याचारी तरीके से जनता को उसके तमाम जनतांत्रिक तथा नागरिक अधिकारों से वंचित करने के जरिए। उस समय सरकार ने यह दावा किया था कि यह सब करना, उग्रवाद तथा आतंकवाद को खत्म करने और इस क्षेत्र में विकास, रोजगार तथा खुशहाली लाने के लिए जरूरी था। पिछले एक साल की सचाई, इन तमाम दावों को झूठा साबित कर रही है।

जम्मू-कश्मीर के हालात की मनहुस सचाई को दो निडर महिलाओं के साथ हाल में किया गया सलूक बेहतरीन तरीके से बयां कर देता है। याद रहे कि ये महिलाएं उस जम्मू के क्षेत्र से हैं, जो हिंदू बहुल होने के के चलते आम तौर पर उस हिंसक राजकीय दमन से रोज-रोज की मुठभेड़ों से बचा रहा है, जो कश्मीर की घाटी के बाशिंदों के रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा हैं।

इनमें एक हैं अनुराधा भसीन, जो इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित दैनिक, कश्मीर टाइम्स की मालिक-संपादक हैं। उन्हें अपने पिता, प्राण भसीन से यह अखबार तो विरासत में मिला ही है, इसके साथ ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता भी विरासत में मिली है।

4 अक्टूबर को उन्हें, बिना किसी पूर्व-सूचना के यह आदेश थमा दिया गया कि सरकारी आवंटन में मिला अपना घर खाली कर दें। उनका घर नये 'किराएदार' के रूप में भाजपा के जिस राजनीतिक दम्पति के नाम कर दिया गया था, उसने उनके साथ धक्का-मुक्की की, घर की मूल्यवान चीजें लूट लीं और घर में तोड़-फोड़ की। इसके पंद्रह दिन बाद, उनके अखबार के दफ्तर को सील कर दिया गया। इस बार भी बिना कोई नोटिस दिए ही, यह कार्रवाई की गयी।

अनुराधा भसीन ने कहा है कि, 'यह मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश है क्योंकि मैं सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करती रही हुं।' वह संविधान की धारा-370 के निरस्त किए जाने की खुलकर आलोचना करती आ रही थीं। इसके अलावा वह 2020 के जून में घोषित नयी मीडिया नीति की भी मुखर आलोचक रही हैं। यह नीति, 'भारत की अखंडता' और 'पब्लिक डीसेंसी' के नाम पर, गोलमोल तरीके से परिभाषित फेक न्यूज के बहाने से मीडिया को धमकाती है और रिपोर्टरों पर सुरक्षा एजेंसियों की द्वारा छानबीन का बंधन लगाती है।

इसके अलावा, उन्होंने 2019 के अगस्त में ही, गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में, जम्मू-कश्मीर में संचार पर लगायी गयी मुकम्मल रोक को चुनौती दी थी। इसके बाद से, उनके अखबार के लिए सारे सरकारी विज्ञापन रोक दिए गए थे।

भसीन परिवार और उनका अखबार, तत्ववादी उग्रवादियों और हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथ के समर्थकों, दोनों के ही निशाने पर रहे हैं। फिर भी मौजूदा निजाम का हमला सबसे भयानक है। बहरहाल, अनुराधा अपने रास्ते पर डटे रहने पर अडिग हैं। वह कहती हैं -

'मैं धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र के विचारों के साथ पली-बढ़ी हुं और एक पत्रकार के नाते यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि अधिकारहरण, न्याय, शांति तथा मानवाधिकारों को रेखांकित करें। पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत ही है, सत्ता के आगे सच बोलना, ताकतवर हितधारकों तथा सरकार को जवाबदेह बनाना, उनके कुछ गलत करने पर उनकी आलोचना करना, उत्पीडित जनता की आवाज बनना।'

बहुत से लोग उनके साथ एकजुटता में जुट गए हैं और भारत में तथा देश से बाहर से भी, अनेक कश्मीरी पत्रकारों ने कश्मीर टाइम्स के लिए मुफ्त काम करने की पेशकश की है।

जम्मू से ही दूसरी महिला हैं, दीपिका राजावत। वह जम्मू हाई कोर्ट में वकालत करती हैं और उन्होंने तब बहुत से लोगों की प्रशंसा अर्जित की थी और दूसरे बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी मोल ली थी, जब उन्होंने 8 वर्षीया बक्करवाल बच्ची, आसिफा की भयंकर बलात्कार के बाद हत्या का केस लिया था। एक पुजारी, एक पुलिस कांस्टेबल तथा भाजपा से जुड़े अन्य कुछ लोगों ने, इस बच्ची का अपहरण कर, उसे भूखा कैद करके रखा था, यातनाएं दी थीं, बार-बार सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया था और अकथनीय बर्बरता दिखाते हुए, अंततः उसकी हत्या कर दी थी।

जब यह मामला आया था, उस समय राज्य सरकार के भाजपायी मंत्रियों की अगुआई में बड़ी संख्या में लोगों को अभियुक्तों के पक्ष में गोलबंद किया गया था। उस समय दीपिका ने ही बड़ी हिम्मत दिखाते हुए यह केस लिया था। इसके लिए उन्हें भीषण हमलों का और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और जान के लिए भारी खतरे का भी सामना करना पड़ा था।

हाल ही में दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून शेयर किया था, जिसमें उन लोगों के पाखंड को उजागर किया गया था जो बाकी साल भर तो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और नवरात्रि में नारी की पूजा का ढोंग करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में उनके घर के बाहर एक बड़ी भीड़ जुटा ली गयी, जो उन्हें बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां दे रही थी और जल्द ही उनकी कब्र खोद देने के नारे लगा रही थी। दीपिका ने किसी तरह से अपने मित्रों को अपनी मुसीबत की जानकारी दी और अधिकारियों को इस हिंसक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को भेजना पड़ा।

लेकिन, कुछ ही दिनों में उनके खिलाफ, 'हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने' के लिए एफआइआर दर्ज करा दी गयी। विडंबना यह है कि यह उसी दिन हुआ, जिस दिन उनका नवरात्रि का व्रत था। दीपिका भी समझौता करने वाली नहीं हैं और मुकाबला करने के तैयार हैं।

अनुराधा और दीपिका, दोनों ही एडवा की बहुत मदद करती आयी हैं। दीपिका ने 2018 के सितंबर में दिल्ली में एडवा की एक विशाल रैली को संबोधित किया था और अनुराधा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश एडवा के फेसबुक पेज पर, कश्मीर के हालात पर व्याख्यान दिया था। एडवा ने इन दोनों ही हिम्मतवर महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता जतायी है और मांग की है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी करे और उनके साथ किए गए अन्याय को अनकिया करे। वरिष्ठ सी पी आइ (एम) नेता तथा पूर्व-विधायक, कामरेड यूसुफ तारिगामी भी खुलकर उनको समर्थन देते आए हैं।

मध्यप्रदेश उपचुनावों के नतीजों का अर्थ: काहिल कांग्रेस की हार और तिकड़मी भाजपा की जीत

संध्या शैली, मध्यप्रदेश राज्य उपाध्यक्ष एडवा

भोपाल। मध्य प्रदेश के 28 विधान सभा सीटों पर भी उपचुनाव बिहार के चुनावों के साथ ही हुये। कांग्रेस की चुनी हुयी सरकार को पैसे के दम पर खरीदने वाली भाजपा और भाजपा के खिलाफ मिले जनता के वोट से जीत कर गये बिकने वाले विधायकों की वजह से ये उपुचनाव हुये थे।

कोरोना काल में बेहद बुरी हालत और बढते भ्रष्टाचार के चलते जनता में भाजपा के प्रति गुस्सा बहुत था लेकिन प्रशासन के उपयोग आर एस एस के नेटवर्क ने जहां भाजपा को इस गुस्से के बावजूद वोट दिलवाये वहीं कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने और जनता के मुद्दों को न उठाने और चुनाव में उन्हे एजेंडे पर न लाने की उसकी हमेशा की कमजोरी ने उसे हरा दिया।

दरअसल ये उपचुनाव तिकड़म से बनी भाजपा सरकार के लिए जीवन-मरण का सवाल बन गए थे इसलिए इन चुनावों को जीतने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से पार्टी कार्यकर्ताओ की तरह काम कराने और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की खरीद फरोख्त, डराने धमकाने सहित ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है जो इन चुनावों को जीतने के लिए सत्ता पार्टी ने न किया हो। कांग्रेस भाजपा की इन कारगुजारियों को उजागर कर सकती थी यदि उसके पास कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क होता। लेकिन उसके लिये भी जीवनमरण के इस संघर्ष के बावजूद कांग्रेसियों की काहिली उन पर भारी पड़ी। और 3 नवम्बर को हुए 28 सीटों के उपचुनावों को मैनेज करने में भाजपा सफल रही। उसने इनमे से 19 सीटें जीत ली - जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी।

इस उपचुनाव के प्रचार अभियान में एडवा की इकाइयों ने पर्चे बांटकर और मोहल्ला बैठकें कर के महिलाओं के बीच भाजपा को हराने का आव्हान किया। इन बैठकों में बड़ी संख्या में महिलायें आती थीं जो भाजपा के खिलाफ मुखर थीं। लेकिन जनता के गुस्से के बावजूद भाजपा के जीत जाने के ये परिणाम यह दिखाते हैं कि जनता के मुद्दों को उनके ही दिमागों से गायब करके आभासी मुद्दों को महत्वपूर्ण बनाने में जैसे लव जिहाद, अयोध्या का मंदिर में परिवर्तित करने में भाजपा सफल है। ये चुनाव वामपंथ के लिये हमेशा की तरह से फिर से सबक दे गये कि अच्छी सभायें और ओजस्वी भाषणों से ही वांछित चुनाव परिणाम नहीं मिलते बल्कि जनता के बीच रहकर सतत संघर्ष और उनके बीच लगातार किया जाने वाला विचारधारात्मक काम ही बदलाव ला सकता है जो बिहार में दिखा है।